

प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
समाहरणालय, खूँटी

(जिला भू-अर्जन शाखा)
प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)
(संशोधित)

पत्रांक-...6.5.5.111

दिनांक-...16/8/18

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम अमजोरा थाना- कर्रा थाना सं० 63 अंचल कर्रा जिला खूँटी में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **खूँटी भोण्डा जुरदाग कर्रा बेड़ो पथ का पुनर्निर्माण हेतु RCD के लिए** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम अमजोरा थाना- कर्रा थाना सं० 63 अंचल कर्रा जिला खूँटी** के भीतर उपर्युक्त परियोजना के लिए कमोबेश **1.535 एकड़** यानि **0.6211924608384 हेक्टेयर** मानक माप का भू-खण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है।

ग्राम अमजोरा थाना- कर्रा थाना सं० 63 अंचल कर्रा का विस्तृत विवरणी

क्र०	खाता संख्या	सर्वे भू-खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या)
							उ० द० पू० प०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	12	सुखराम मुण्डा वगैरह	टॉड 1	0.15	हबिल मुण्डा, माटु मुण्डा, मंगल मुण्डा वल्द स्व० लाधु मुण्डा आमजोरा.कर्रा	उ०-1 द०-जुरदाग पू०- 12 का अंश प०- रास्ता
2	20	11	सुखराम मुण्डा वगैरह	टॉड 1	0.075	हबिल मुण्डा, माटु मुण्डा, मंगल मुण्डा वल्द स्व० लाधु मुण्डा आमजोरा.कर्रा	उ०-10 द०-12 पू०-11 का अंश प०-5 रास्ता
3	14	10	मंगल पाहन वल्द लाधु पाहन	टॉड 1	0.15	संतो पाहन जागो पाहन, मंगल पाहन वल्द स्व० लाधु पाहन आमजोरा.कर्रा	उ०-1 द०-11 पू० 10का अंश प०-4 का अंश
4	5	9	चाम उरौव मंगरा उरौव	टॉड 2	0.184	मदिरा उरौव वल्द स्व० चमरा उरौव। बुचु उरौव वल्द स्व० गुंगा उरौव आमजोरा.कर्रा	उ०-8 द०-10 पू०-9 का अंश प०-रास्ता
5	11	8	बिश्राम स्वासी वल्द स्व० सुखरा स्वासी वगैरह।	टॉड 1	0.196	सुखराम स्वासी वल्द स्व० दहरू स्वासी। आमजोरा.कर्रा	उ०-6 द०-9 पू०-8 का अंश प०-4 रास्ता
6	20	5	सुखराम मुण्डा वगैरह	टॉड 1	0.34	हबिल मुण्डा, माटु मुण्डा, मंगल मुण्डा वल्द स्व० लाधु मुण्डा आमजोरा.कर्रा	उ०-टुनगाँव द०-6 पू०- का अंश प०-5का अंश
7	26	6	सुखराम मुण्डा वगैरह	टॉड 1	0.44	हबिल मुण्डा, माटु मुण्डा, मंगल मुण्डा वल्द स्व० लाधु मुण्डा आमजोरा.कर्रा	उ०-5 द०-8 पू०- प०-4 का अंश
				कुल	1.535		

यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

